


66



न्यायालय : राजस्व मण्डल खालियर, मध्य प्रदेश केम्प - उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2004 पुनः क्लिक रिक्व 521-II/2004

एडवोकेट जनरल
कोर्ट ऑफ अपीलिंग
मध्य प्रदेश
17/3/04

अयोध्याबाई पुत्रि माखनसिंह पति केवलसिंहजी
जाति वासी, निवासी ग्राम आग्नेही, तहसील
कालापीपल जिला बाजापुर (मध्य प्रदेश)

--- आवेदिका

विरुद्ध

बलवंतसिंह पिता देवबध जाति वासी,
निवासी ग्राम अरण्याकला तहसील कालापीपल
जिला बाजापुर (मध्य प्रदेश) --- अनवेदक

18-5-04
3/5/04

Linker
14/5/04

पुनः क्लिक अनवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश अध्याय राजस्व
संश्लेषण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि आवेदिका माननीय महोदय के आदेश दिनांक 12-2-2004 को पारित आदेश से तुल्य व पीछे होकर निम्न आधारों पर पुनः क्लिक याचिका अंतर अवधि प्रस्तुत है।
- 2- यह कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12-2-2004 को पारित आदेश को सत्य प्रतिलिपि आवेदिका को दिनांक 16-3-2004 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात यह आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।
- 3- यह कि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12-2-2004 में तथ्यों का विश्लेषण तर्ही रूप से नहीं किया है एवं जो निष्कर्ष निकाला है वह विधि व विधान के विपरित होकर निरस्त कर उस पर पुनः विचार करना आवश्यक है।
- 4- यह कि माननीय न्यायालय ने बिना किसी बहस के आधार पर अपील निरस्त करने में महान वैधानिक त्रुटि की है।
- 5- यह कि प्रकरण में अनवेदक बलवंतसिंह द्वारा जो पुट रचित बसीयत बतायी गई है वह पकी है, तथा वह सर्वप्रथम दाव से मिली गई।

अ.प्र.
अनवेदक

दिनांक 21-11-04

दिनांक 21/11/04

25.2.16

आपके आदेशों के अनुसार
 प्रमाणित किया गया है कि उक्त
 कार्य के संबंध में उचित प्रमाण
 समय समय पर उपलब्ध करा
 गया है। अतः आपकी ओर से उक्त
 कार्य के संबंध में अनुमानित
 की गई प्रमाण पत्रों के
 संबंध में कोई भी कार्य नहीं
 दायर किया जा रहा है।